न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1550–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–2006 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 52/अपील/2004–05.

.....

मोहम्मद रफीक पिता बाबूखॉ
निवासी स्टेशन रोड मक्सी
जिला शाजापुर म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन,

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–अपीलार्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/8/16 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर द्वारा बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिये गये निर्देशों एवं समय समय पर जारी प्रपत्रों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–1–2002 को कार्यवाही की गई । कार्यवाही में ग्राम गढ़रौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 3 में से अपीलार्थी, जो कि मालवा स्टोन केशर के मालिक है, के द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर उसके विरूद्ध प्रकरण कमांक 15/अ–67/2001–02 दर्ज कर दिनांक 24–10–2004 को

आदेश पारित किया जाकर 3000 मिट्रीक टन गिट्टी का अवैध उत्खनन किया जाना मान्य करते हुये उसके बाजार मूल्य रुपये 4,50,000/– के दोगुना रुपये 9,00,000/– रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–4–06 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई है । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गढरौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 3 रकबा 0.627 हेक्टेयर भूमि का पटटा अपीलार्थी को 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया था और उसके द्वारा उसी भूमि से गिट्टी का उत्खनन किया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी को जारी सूचना पत्र में अवैध उत्खनन का दिनांक एवं कितनी गिट्टी का उत्खनन किया गया है, की मात्रा नहीं दर्शाई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 247 के पालन में कारण बताओं सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गिट्टी खनिज की परिभाषा में नहीं आती है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 9,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण टीम द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है और उनके द्वारा साक्ष्य से भी अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना सिद्ध किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में वैधानिक

एवं उचित कार्यवाही की गई है और आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि जिस भूमि का उसे पटटा प्राप्त हुआ था उसी भूमि पर उत्खनन किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जिस समय अवैध उत्खनन किया गया है, उस समय उसे उक्त भूमि का पटटा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिये उसके द्वारा किया गया उत्खनन अवैध उत्खनन की श्रेणी में ही आयेगा । अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत तर्को में तकनीकी स्वरूप के आधार उठाये गये है और तकनीकी आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाना उचित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2006 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर